

मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजस्थान हाउस पुनर्निर्माण का निरीक्षण किया

नई दिल्ली में पृथ्वीराज रोड़ स्थित भवन में ऊपर के स्ट्रक्चर का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है

नई दिल्ली/जयपुर, 26 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड़ स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। शर्मा ने कहा कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए समय सीमा में पुनर्निर्माण कार्य पूरा किया जाए।

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि लोअर बेसमेंट में अंडर ग्राउंड वॉटर टैंक एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिविल कार्य

- मुख्यमंत्री ने जनपथ लेन में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित श्री बटुक भैरव मंदिर में दर्शन व पूजा की।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

पूर्ण होने के साथ ही, हाउस के ऊपरी भाग के निर्माण का करीब 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण में राजस्थान की कलात्मक स्थापत्य शैली

‘सुख चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही.....’

भुज, 26 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के क्रम में उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में एक जनसभा को भी संबोधित किया और आतंकवाद को लेकर भारत की नीति को एक बार फिर स्पष्ट किया। उन्होंने पाकिस्तान को भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि सुख

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से स्पष्ट किया

चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।

पीएम ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि भारत पर्यटन में विश्वास करता है, यह एक ऐसी शक्ति है, जो लोगों को एक साथ लाती है। लेकिन, पाकिस्तान जैसे देश है, जो आतंकवाद को अपने पर्यटन के रूप में देखते हैं, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एसआई भर्ती में एक माह का समय दिया

जयपुर, 26 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को आखिरी एक माह का समय देते हुए कहा है कि एक जुलाई को राज्य सरकार भर्ती के संबंध में अंतिम निर्णय लेकर अदालत में जवाब पेश कराे। वहीं, अदालत ने अन्य पक्षों को अपनी लिखित बहस पेश करने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि कैबिनेट सब कमेटी की 21 मई को प्रस्तावित

बैठक को 20 मई को बुलाकर एसआई भर्ती के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई थी, वहीं, 22 मई को बीकानेर में कार्यक्रम होने और 24 मई की नीति आयोग की बैठक की तैयारियों के चलते आगे की कार्रवाई नहीं होसकी। इसके अलावा, 25 मई को सीएम कॉन्क्लेव के चलते भर्ती को लेकर निर्णय नहीं हो सका। इसलिए भर्ती पर निर्णय के लिए समय दिया जाए। जस्टिस जैन- हम खंडपीठ के आदेश से बंधे हुए हैं। आप भर्ती को लेकर निर्णय क्यों नहीं कर रहे हैं।

महाधिवक्ता - भर्ती को लेकर बैठक की राई थी, बाद में उक्त आयोजनों के कारण निर्णय नहीं हो सका। इस संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। निर्णय लेने

- महाधिवक्ता ने विश्वास दिलाया कि अगली सुनवाई में सरकार खाली हाथ नहीं आयेगी

की प्रक्रिया चल रही है।

जस्टिस जैन- आपको कितना समय चाहिए। हम मामले की सुनवाई परसों रख देते हैं।

महाधिवक्ता- तीन दिन बाद समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई जुलाई में रखी जाए। भर्ती को लेकर विभिन्न आयामों को देखना है।

याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र

नोल- सरकार पहले की लंबा समय ले चुकी है। अब समय नहीं दिया जाए।

जस्टिस जैन - चलिए फिर, आपके प्रार्थना पत्र को अलग रखते हैं और केस को मेरिट के आधार पर तय कर देते हैं। आप राय दे चुके हैं। अब क्या कहना है। आप चाहें तो हम अपनी छुट्टियां स्थगित कर मामला सुन सकते हैं।

महाधिवक्ता- राय देते समय रिपोर्ट थी कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थी अनुचित साधनों से पास हुए हैं। जांच के बाद, अभी तक करीब 50 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई है।

याचिकाकर्ता के वकील पूर्व एएजी आरपी सिंह- जब सरकार के एजी, कैबिनेट सब कमेटी और एसओजी की

पहलगाम हमले का हमारी सेना ने मुँहतोड़ जवाब दिया: पायलट

बाड़मेर की जयहिंद सभा में जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए

बाड़मेर, 26 मई (नि.सं.)। पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में सोमवार को कांग्रेस ने बालाजी फार्म पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया। सभा में जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन – पदाधिकारी, नेता, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। इस दौरान वीरगनाओं का सम्मान किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पहलगाम हमला देश की अस्मिता पर आक्रमण था, भारत पर आक्रमण था, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। जब-जब देश को ललकारा गया, सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि देश में सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो सेना में है। यह सभा सैनिकों को सलाम करने के लिए है। पायलट ने कहा कि हमने नहीं पूछा कि आतंक के कैसे पहलगाम में घुसे, कहां चूक हुई। हमने कोई सवाल नहीं पूछा और सब पूरी एकजुटता के साथ सरकार के साथ रहे। अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बाड़मेर में भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में आयोजित जय हिंद सभा को संबोधित किया।

की कि मैंने युद्ध विराम करा दिया। यह कैसे और किस शर्त पर हुआ, इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए।

पायलट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी की तीसरी पीढ़ी फौज में है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या शब्द कहे उनके लिए, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार यहां के लोगों से क्यों दुश्मनी निकाल रही है। बिजली पानी के क्या हाल हैं, आप देख रहे हो। उन्हें पता था कि कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो बिजली

गुल कर दी। यहां के लोगों से सरकार क्यों दुश्मनी निकाल रही है।

सचिन पायलट ने कहा, आज वो समय आ गया कि 200 देशों को पता चले कि पूरा देश एक है। काफी डेलिगेशन दुनिया के देशों में गए। अच्छा होता कि अधिवेशन बुलाया जाता और सब कहते कि हम एक हैं। सत्र बुलाया जाना चाहिए था और फिर डेलिगेशन भेजे जाते। पायलट ने कहा कि सरहद के लोगों ने निडर होकर छाती सामने की है। सेना के पीछे बाड़मेर-जैसलमेर के

- पायलट ने कहा कि अच्छा होता, पहले संसद का अधिवेशन बुलाया जाता फिर डेलिगेशन भेजे जाते।

- जयहिंद सभा में रणदीप सुरजेवाला, सुखविंदर सिंह रंधावा, गोविन्द डोटासरा, टीकराम जूली, हरीश चौधरी, अशोक गहलोत भी मौजूद थे।

लोग चट्टान की तरह खड़े हैं। जो हमें तोड़ना चाहते हैं, हम उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पायलट ने कहा, हमें गर्व है कि हम बाड़मेर में खड़े हैं। यहां से पाकिस्तान दूर नहीं है। यहां सेना खड़ी है। जान की परवाह किए बिना सेना ने हमारे निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना के साथ उनके परिवारों को धन्यवाद, जिन्होंने अपनों को बॉर्डर पर भेजा है।

सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद रणदीप सुरजेवाला, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश व स्थानीय स्तर के पदाधिकारी, नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।

पत्नी की .. सुप्रीम कोर्ट ने जज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
ममता के भाई आकाश ने 18 जुलाई, 2023 को शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ममता का विवाह 12 साल पहले कानाराम से हुआ था।

वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। शाम को उसकी दूसरी बहन, जो ममता की जेठानी भी है ने फोन कर अभियुक्त की ओर से ममता की हत्या की जानकारी दी।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, मृतका की बहन ने अदालत को बताया कि घटना के दिन ममता के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह उसके कमरे में गई थी। वहां ममता खून में लथपथ पड़ी थी और उसके गले से खून बह रहा था।

वहीं, अभियुक्त उसके पास खड़ा था और उसके हाथ में खून से सना सुआ था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया, संजीव खन्ना ने समिति की रिपोर्ट, साथ में जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को सौंपी थी। अब यह कार्यपालिका और संसद को जिम्मेवारी है कि वे इस मामले में अगला कदम क्या उठाते हैं।

न्यायपालिका को इनहाउस प्रक्रिया के अनुसार, यदि किसी न्यायाधीश को पद छोड़ने की सलाह दी जाती है और वह इस्तीफा नहीं देता, तो सी.जे.आई. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संभावित महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पत्र लिखता है। आठ मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में पुष्टि की: “भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इनहाउस प्रक्रिया के तहत, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है तथा तीन-सदस्यीय समिति की 3 मई की रिपोर्ट की एक प्रति तथा जस्टिस यशवंत वर्मा

- कमेटी ने अपनी जाँच के आधार पर रिपोर्ट बनाकर मु.न्यायाधीश के समक्ष पेश की थी जिसे मु. न्यायाधीश ने राष्ट्रपति व प्र.मंत्री से साझा किया था।

- इस रिपोर्ट की कॉपी सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई थी। न्यायालय ने यह रिपोर्ट साझा करने में असमर्थता जताई थी।

से दिनांक 6 मई को प्राप्त पत्र/प्रतिक्रिया को संलग्न किया है।”

‘मैं भारतीय हूँ, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट में लोगों का गुस्सा साझा किया और संबंधित महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एसबीआई के अधिकारियों को टैग भी किया। कई कांग्रेस नेताओं और मुख्यमंत्री सिद्धार्थेया ने भी कहा कि बैंकों में इस प्रकार की कानूनी विरोधी मानसिकता अब बहुत आम होती जा रही है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। बढ़ते जनदबाव के बीच शनिवार को एसबीआई ने संबंधित महिला अधिकारी का तबादला कर दिया। इस कार्यवाही का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धार्थेया ने कहा, “सूर्य नगर, अनेकल तालुक की एसबीआई शाखा की मैनेजर द्वारा कानूनी

और अंग्रेजी में बात न करना और नागरिकों के प्रति अनादर दिखाना अत्यंत निंदनीय है। हम अधिकारी के त्वरित तबादले के लिए एसबीआई की सराहना करते हैं। अब इस मामले को बंद समझा जा सकता है।” उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऐसे घटनाएं फिर से नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थेया ने कहा, “सभी बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और स्थानीय भाषा में बात करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।” वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग से आग्रह करता हूँ कि वे पूरे भारत में बैंक स्टाफ के लिए सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करें। स्थानीय भाषा का सम्मान करना, लोगों को सम्मान करना आवश्यक है।”

कोटपूतली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नोटिस दिये जाने के बाद किये गये थे। जुलाई 2022 में सभी याचिकाकर्ताओं को जो नोटिस दिये गये, वे दो गवाहों इद्रजीत और राम कुमार सैनी द्वारा हस्ताक्षरित थे और सभी नोटिस में केवल यही दो या तीन लोग गवाह बनाये गये। पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 15 दिन में एक कमेटी का गठन करे और याचिकाकर्ताओं से आपत्तियां मंगाई जाये। कमेटी सभी याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी और प्रत्येक व्यक्तिगत

मामले में तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित कर आपत्तियों पर कानून के अनुसार निर्णय करेगी। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई याचिकाकर्ता अपने वैध दस्तावेजों से परिसर पर कब्जा रखता है, और सड़क के विस्तार के लिये उसकी आवश्यकता है, तो उसे मौजूदा दरों के अनुसार उचित दर पर पर्याप्त मुआवजा दिया जाये और उसे किसी भी क्रियान्वित सरकारी योजना के तहत उसकी पात्रता के अनुसार भूमि आवंटित की जा सकती है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कानून के अनुसार आगे कार्यवही करने की स्वतंत्रता होगी।

उदयपुर में करोना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जांच कराई थी। शनिवार को उसे अपने पॉजिटिव होने की खबर मिली और वह भी अपने घर पर उपचाररत है। उदयपुर में कोविड की एंटी को लेकर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एमबी अस्पताल में

विशेष कोविड वर्ड शुरू कर दिया गया है, जिसमें कोविड मरीजों के लिए फिलहाल दस बैड आवश्कित रखे हैं। स्वाइन फ्लू विंग में शुरू किए गए इस वर्ड में स्वाइन फ्लू के पच्चीस बैड अलग से हैं। आवश्यकता पड़ने पर बैड बढ़ाए जा सकेंगे।